Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2024/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024
(2 श्रावण, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 37/के०अ० 35/2019/धा० 102/2024, दिनांक 24 जुलाई, 2024– हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024.	153—158
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 38/के०अ० 35/2019/धा० 102/2024, दिनांक 24 जुलाई, 2024– जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024.	159—162
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जुलाई, 2024

संख्या का०आ० 37/के०अ० 35/2019/धा० 102/2024.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024 कहे जा सकते है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35);

(ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष;

(ग) ''राज्य परिषद्'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होगें, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य परिषद् की संरचना।

3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिषद्, की स्थापना करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार में खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री, राज्य परिषद का अध्यक्ष होगा; राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक उपाध्यक्ष होगा,

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग–सदस्य

(ग) सचिव/विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग–सदस्य सचिव,

(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा–सदस्य,

(ड) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा–सदस्य,

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सदस्य–गैर सरकारी सदस्य, जो दस से अधिक न हो,

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के किन्ही अन्य विभागों/निकायों के तीन प्रतिनिधि–सदस्य,

(ज) राज्य उपभोक्ता–विवाद निवारण आयोग, हरियाणा, पंचकुला का सचिव–सदस्य,

(झ) उपभोक्ता सगंठनों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों, शिक्षाविदों, किसानों, व्यापार या उद्योग में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच से अनधिक गैर–सरकारी सदस्य, जो उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों,

राज्य परिषद् का कार्यकाल।

4. राज्य परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगाः

परन्तु राज्य परिषद तीन मास की और अवधि अथवा इसका पुर्नगठन किए जाने तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

राज्य परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यों का त्याग–पत्र।

5. कोई भी गैर–सरकारी सदस्य, राज्य परिषद से अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए स्व–हस्ताक्षरित लिखित में नोटिस देते हुए, त्याग–पत्र दे सकता हैं।

गैर सरकारी सदस्यों के त्याग–पत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति।

6. (1) नियम 5 के अधीन किसी गैर–सरकारी सदस्य के त्याग–पत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा गैर–सरकारी सदस्य के समरूप प्रवर्ग से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाऐगा।

(2) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्याग–पत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक पद पर बना रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर बना रहने का हकदार था।

कार्य समूह।

7. (1) अधिनियम के अधीन कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन हेतु, राज्य परिषद् इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जो यह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करेगा, जो राज्य परिषद् द्वारा इसे सौंपे जाए।

(2) राज्य परिषद् प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित ऐसे कार्य सौंपेगी, जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाऐं और जिसमें वह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं।

(3) कार्य समूह, अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगें।

(4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षों को राज्य परिषद् के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गया था।

कार्य संचालन के लिए राज्य परिषद् की बैठकें।

8. (1) राज्य परिषद् की बैठकें साधारणतया चण्डीगढ़ में आयोजित की जाएंगीः

परन्तु राज्य परिषद् जब अध्यक्ष का यह मत हो कि ऐसा करना उपयुक्त है, राज्य में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है।

(2) राज्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति की दशा में, उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति की दशा में, राज्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता इस प्रयोजनार्थ चुने गए राज्य परिषद् के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(4) राज्य परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तिथि से कम–से–कम दस दिन पहले डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुकर बनाने के लिए लिखित के नोटिस देते हुए बुलाई जा सकती है।

(5) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के नोटिस में बैठक का समय, तिथि और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।

(6) राज्य परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति के सिवाय, चर्चा नहीं की जाएगी।

(7) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्त का मसौदा यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को आगामी बैठक में अंगीकार किए जाने हेतू यथाशीघ्र राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(9) किसी रिक्ति के होने अथवा राज्य परिषद् के गठन में किसी दोष के होने मात्र से राज्य परिषद् की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहराई जाएगी।

व्यय और बैठक फीस की प्रतिपूर्ति

9. (1) राज्य परिषद के गैर–सरकारी सदस्य, राज्य परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतु, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में यथा विहित ग्रेड–।।। में हरियाणा सरकार के श्रेणी–। के अधिकारी को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगें।

(2) राज्य परिषद् के सभी सरकारी सदस्य, राज्य परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतू हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 के अनुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मूल विभाग से प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

(3) उप–नियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा, राज्य परिषद् के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यधीन होगा कि वह राज्य परिषद् अथवा इसके किसी कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।

डॉ0 सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।

भाग–III

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जुलाई, 2024

संख्या का०आ० 38/के०अ० 35/2019/धा० 102/2024.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् नियम, 2024 कहे जा सकते है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35);

(ख) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष।

(ग) ''जिला परिषद्'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होगें, जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

जिला परिषद् की संरचना।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए जिला परिषद् की स्थापना करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) उपायुक्त–अध्यक्ष,

(ख) पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष,

(ग) नगराधीश–सदस्य,

(घ) नागरिक अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सदस्य,

(ड) जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक–सदस्य सचिव,

(च) उपायुक्त कार्यालय का जिला न्यायवादी –सदस्य,

(छ) उपायुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य के किसी अन्य विभाग के दो से अनधिक प्रतिनिधि–सदस्य,

(ज) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता कार्यकर्ताओं, अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठनों, शिक्षाविदों, किसानों, व्यापार या उद्योग में से राज्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन से अनधिक गैर–सरकारी सदस्य, जो उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हों।

जिला परिषद् का कार्यकाल।

4. जिला परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगाः

परन्तु जिला परिषद् तीन मास की और अवधि अथवा इसका पुनर्गठन किए जाने तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

जिला परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यों का त्याग–पत्र।

5. कोई भी गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए स्व–हस्ताक्षरित लिखित में नोटिस देते हुए, जिला परिषद् से त्याग–पत्र दे सकता है।

गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति।

6. (1) नियम 5 के अधीन किसी गैर–सरकारी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा गैर–सरकारी सदस्य के समरूप प्रवर्ग से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

(2) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक पद पर बना रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर बना रहने का हकदार था।

कार्य समूह।

7. (1) अधिनियम के अधीन कार्यो को निष्पादन करने के प्रयोजन हेतु, जिला परिषद् इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जो यह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यो का निष्पादन करेगा, जो जिला परिषद् द्वारा इसे सौंपे जाऐगें।

(2) जिला परिषद् प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित ऐसे कार्य सौंपेगी, जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें वह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं।

(3) कार्य समूह, अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगें।

(4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षो को जिला परिषद् के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गया था।

कार्य संचालन के लिए जिला परिषद् की बैठके।

8. (1) जिला परिषद् की बैठकें साधारणतया परिषद् के जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएंगीः परन्तु जिला परिषद्, जब अध्यक्ष का यह मत हो कि ऐसा करना उपयुक्त हैं, जिला में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है।

(2) जिला परिषद् जब भी आवश्यक हो, बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम–से–कम दो बैठकें आयोजित करेगी।

(3) जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(4) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति की दशा में, जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता इस प्रयोजनार्थ चुने गए जिला परिषद् के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(5) जिला परिषद् की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तिथि से कम–से–कम सात दिन पहले डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुकर बनाने के लिए लिखित नोटिस देते हुए बुलाई जा सकती है।

(6) जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक के नोटिस में बैठक का समय, तिथि और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।

(7) जिला परिषद् की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति के सिवाय, चर्चा नहीं की जाएगी।

(8) जिला परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को आगामी बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथाशीघ्र जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(10) किसी रिक्ति के होने अथवा जिला परिषद् के गठन में किसी दोष के होने मात्र से जिला परिषद् की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहराई जाएगी।

व्यय और बैठक फीस की प्रतिपूर्ति।

9. (1) जिला परिषद् के गैर–सरकारी सदस्य, जिला परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतु, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में यथा विहित ग्रेड–।।। में हरियाणा सरकार के श्रेणी–। के अधिकारी को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगें।

(2) जिला परिषद् के सभी सरकारी सदस्य, जिला परिषद् अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजनों हेतू हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 के अनुसार यथा लागू यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता मूल विभाग से प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

(3) उप–नियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा, जिला परिषद् के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यधीन होगा कि वह जिला परिषद् अथवा इसके किसी कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन के लिए अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।

डॉ0 सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।